न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

54/2025

श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र रामगोपाल शर्मा निवासी भम्भोरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज.
---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 22.07.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 06.05.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

1 ग्राम युसुफपुरा उर्फ चराई पटवार हल्का सोरन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बम्बोर, तहसील व जिला टोक में स्थित कृषि भूमि जो माह मार्च 2022 तक राजस्व अभिलेख में पुराना खसरा नम्बर 79 के रूप में अंकित थी, के नये खसरा नम्बर 408/403, 406/403. 412/407, 409/402, 410/402, 414/407, 413/407, 411/402 एवं 398/79 श्रीमान तहसीलदार महोदय, टोक अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी के किस आदेश के तहत् बनाये गये, सम्बन्धित आदेश संबंधित जमाबन्दी एवं इसकी प्रक्रिया की सम्पूर्ण दस्तावेजी सूचनायें।

2 ग्राम युसुफपुरा उर्फ चराई पटवार हल्का सोरन भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बम्बोर, तहसील व जिला टोंक में स्थित भूमि के नामान्तकरण संख्या 632 दिनांक 20.09.2022. नामान्तकरण संख्या 658 दिनांक 18.08.2023 एवं नामान्तकरण संख्या 659 दिनांक 18. 08.2023 की सत्यप्रतिलिपियां एवं उपरोका नामान्तकरण हेतु संलग्न किये गये सन्पूर्ण दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियां ।

3 ग्राम युसुफपुरा उर्फ चराई पटवार हल्का सोरन, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बम्बोर तहसील व जिला टोंक में स्थित भूमि के नामान्तकरण संख्या 626 दिनांक 05.07. 2022, नामान्तकरण संख्या 653 दिनांक 31.07.2023, नामान्तकरण संख्या 660 दिनांक 27.09.2023 एवं नामान्तकरण संख्या 666 दिनांक 31.01.2024 की सत्यप्रतिलिपियां एवं उपरोक्त नामान्तकरण हेतु संलग्न किये गये सम्पूर्ण दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियां।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक को पत्र कमांक 1093 दिनांक 16.06.2025 व 1191 दिनांक 2.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक ने पत्र कमांक 8109 दिनांक 09.07.2025 से

जिला कलेक्टर
टोंक

जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 7967 दिनांक 04.07.2025 से अपीलान्ट के पते पर रजि. डाक से प्रेषित कर दी गयी है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रधान अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर राजस्थान